



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607



क्रमांक : 12627 / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : 23/11/2013

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2013 के निर्णयानुसार शासकीय महाविद्यालय, जामगांव-आर, जिला-दुर्ग (छ0ग0) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-


क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.एस.सी III (रसायन, जीवविज्ञान, वनस्पति)	100	2013-14
2.	बी.ए. III (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी,) इतिहास, भूगोल, राजनीति	200	
3.	बी.काम. III (समस्त अनिवार्य विषय)	60	

शर्त :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. आवश्यकता अनुसार विषयवार उपलब्ध पुस्तकों की संख्या एवं प्रायोगिक सामग्रियों की सूची प्रस्तुत किया जावे। अतः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
4. जांच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

टीप:- सत्र 2011-12 की बकाया संबद्धता शुल्क रु. 37,000/- (सैतीस हजार रुपये मात्र) शीघ्रताशीघ्र विश्वविद्यालय कोष में जमा करें।


आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 12628 / अका. / सम्बद्धता / 2013
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 23/11/2013

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)